भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **585**

दिनांक 4 फरवरी , 2021 / 15 माघ, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एएआई की लाभप्रदता

585. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और वाराणसी विमानपत्तनों के निजीकरण से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की लाभप्रदता प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विभिन्न राज्यों में निजी/या जिन विमानपत्तनों का निजीकरण किया जाना है में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आरक्षण मिलना जारी रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): 2006 में दिल्ली हवाईअड्डे पर सार्वजनिक निजी भागीदारिता (पीपीपी) को लागू किया गया था और यह एक सफल प्रयास है। हवाईअड्डे पर सार्वजनिक निजी भागीदारिता ने दिल्ली हवाईअड्डे को एक विश्वस्तरीय हवाईअड्डा बनाने और हवाई यात्रियों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के उपलब्ध कराने में मदद की है। इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को अपना राजस्व बढ़ाने और देश के बाकी हिस्सों में हवाईअड्डों और वायु दिक्चालन अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद की है। भाविप्रा ने 2006-07 से 2018-19 की अवधि के लिए दिल्ली हवाईअड्डे से 16566.30 करोड़ रु. की आय अर्जित की है। भाविप्रा ने पीपीपी के तहत वाराणसी हवाई अड्डे को अवार्ड नहीं किया है।

(ग) और (घ): पीपीपी के कार्यान्वयन पर, भाविप्रा के कर्मचारियों के पास या तो भाविप्रा के साथ रहने अथवा पीपीपी भागीदार के साथ कर्मचारी के रूप में शामिल होने का विकल्प होता है। जो लोग एएआई के साथ बने रहते हैं, वे एएआई की सेवा की शर्तों और नियमों से नियंत्रित होते हैं और जो निजी भागीदार के पास जाने का विकल्प चुनते हैं, वे संबंधित निजी कंपनी की सेवा की शर्तों और नियमों के अधीन रहते हैं।

*****